


राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

क्रमांक : एफ4(10)/भंडार-स्थाई/रीपा/2016-17/14384-98 दिनांक २४.९.२०१६

कार्यालय आदेश


राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 3 के अन्तर्गत विभिन्न उपापन संबंधी क्रय/कार्यो के लिये निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है :-

1. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष
2. सहायक निदेशक (प्रशासन)/आहरण वितरण अधिकारी
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-।
4. तकनीकी विशेषज्ञ (आवश्यकतानुसार)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक : एफ4(10)/भंडार-स्थाई/रीपा/2016-17/14384-98 दिनांक २४.९.२०१६
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. उप निदेशक (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष, रीपा, जयपुर।
2. सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं आहरण वितरण अधिकारी, रीपा, जयपुर।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, रीपा, जयपुर।
4. निजी सचिव, महानिदेशक महोदया, रीपा, जयपुर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), रीपा, जयपुर।
6. सहायक लेखाधिकारी-।, रीपा, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, रीपा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को ह.च.मा. रीपा की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
8. समस्त तकनीकी विशेषज्ञ(प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर, प्रभारी अधिकारी प्रकाशन, विद्युतकार, पम्प ऑपरेटर एवं कारपेन्टर) व अन्य।
9. रक्षित पत्रावली


उप निदेशक (प्रशासन) एवं
कार्यालयाध्यक्ष